



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
 (A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)
NAAC Accreditation- "A" Grade

कादर नवाज़ ख़ान

Kadar Nawaz Khan

कार्यकारी कुलसचिव/ Acting Registrar

वित्त अधिकारी/ Finance Officer

दूरभाष / Phone: +91-7152-251661

फ़ैक्स / Fax: +91-7152-230903

क्रमांक: 015/2017/RAC/Ph.D.2/RA/01/281

तिथि : 17.07.2017

अधिसूचना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पी-एच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2016 के अनुसार संशोधित तथा विद्या-परिषद की 25^{वीं} बैठक में अनुमोदित पी-एच.डी. अध्यादेश: 45/2017 के बिंदु क्रमांक 10 के अनुसार स्त्री-अध्ययन विभाग के पी-एच.डी. शोधार्थी श्री रजनीश कुमार अम्बेडकर के शोध-कार्य की निगरानी के लिए शोध सलाहकार समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है-

1.	कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय से एक प्रोफेसर	:	प्रो. प्रीति सागर	:	अध्यक्ष
2.	संबंधित अनुशासन से शोध-निर्देशक द्वारा प्रस्तावित दो सदस्यों की सूची से कुलपति द्वारा नामित एक सदस्य	:	डॉ. अवंतिका शुक्ला	:	सदस्य
3.	संबंधित शोध-निर्देशक	:	प्रो. शंभु गुप्त	:	संयोजक

समिति उक्त विनियम एवं पी-एच.डी. अध्यादेश के अनुसार कार्य करेगी।

यह अधिसूचना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी की जाती है।

कादर नवाज़
 (कादर नवाज़ ख़ान)

18/07/17

प्रति: संबंधित सभी।

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए।

1. कुलपति कार्यालय।
2. अधिष्ठाता, संस्कृति विद्यापीठ।
3. विभागाध्यक्ष, स्त्री अध्ययन विभाग।
4. परीक्षा विभाग।
5. अकादमिक विभाग।
6. प्रभारी, लीला को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
7. संबंधित फाइल